प्रेषक

जिला न्यायाधीश

अमरोहा।

सेवा में

श्रीमान महानिबन्धक, माननीय उच्च न्यायालय,

इलाहाबाद।

पत्रांक:

634 / 2021 / प्रशा. / अमरोहा, दिनांकितः 16.04, 2021

विषय:

दिनांक 16.04.2021 को जिला न्यायालय अमरोहा में एक कर्मचारी की कोविड—19 की जांच धनात्मक आने के

सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सादर अवगत कराना है कि दिनांक 16.04.2021 को जिला न्यायालय अमरोहा में एक कर्मचारी की कोविड—19 की रिपोर्ट धनात्मक पायी जाने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी अमरोहा के पत्र संख्या— मुचिअ / कोविड—19 / 2021—22 / 5494 दिनांकित 16.04.2021 में यह अंकित किया गया है कि सम्बन्धित कार्यस्थल के प्रक्षेत्र / भवन को पूरी तरह से 24 घण्टे के लिए बन्द कर दिया जाये तथा उस स्थल को 02 बार विसंक्रमित किया जाये। उक्त कारणों से जिला न्यायालय अमरोहा के मुख्यालय को दिनांक 17.04.2021 के लिए सेनेटाइजेशन कराने के लिए बन्द किया गया है।

अतः अनुरोध है कि पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

भवदीय

जिला न्यायाधीश,

अमरोहा। १६,०५,२०२

DISTRICT JUDGE

संलग्नक— यथोक्त।

Administrative Office, District Judge, Amroha

ORDER No. 45

Dated: |6-4-202|

ORDER

Chief Medical Officer, Amroha vide his letter no. मुचिअ0 / कोविड-19 / 2021-22 / 5494 dated: 16.04.2021 informed this office that Shri Sharvan Kumar, Central Nazir, District Court Amroha has been found corona positive.

Chief Medical Officer, Amroha in his letter aforementioned has also informed that in above circumstances it would be essential to close the court campus for 24 hours viz. 17.04.2021 for sanitization. Meanwhile fervent and continuous sanitization of the court premises be done. A copy of this order be sent to District Magistrate and Chief Medical Officer, Amroha for the purpose aforesaid. O.I./c Nazarat shall take personal interest in sanitization work and to furnish their report.

The general dates for the cases fixed on 17.04.2021 will be 28.04.2021 respectively. However, it shall be open for concerned Presiding Officers to fix any other date for any particular case if situation so warrants.

The urgent matters and Bail applications fixed for 17.04.2021 shall be taken up on 20.04.2021.

Outlying court Hasanpur & Gram Nyayalaya, Dhanaura, District Amroha shall remain opened as usual on 17.04.2021.

In pursuance of directions of Hon'ble High Court laid down vide letter no. 1941/LXXXVII-CPC/e-Courts/dated 05.04.2021, it has been decided that all the courts at district headquarter, Amroha shall remain closed for vigorous sanitization on 17.04.2021.

Copy of this order be sent to District Bar Associations for information and also to all Hindi Dailies for information to public at large and this order upload on website also.

All concerned be informed accordingly and a copy of this order be also pasted on notice board of this Judgeship.

This order be also informed to Hon'ble High Court.

Dated: 16.04.2021

Copy to-

1. Principal Judge, Family Court

2. District Magistrate, Amroha

- 3. Superintendent of Police, Amroha
- 4. Chief Medical Officer, Amroha
- 5. Jail Superintendent Moradabad
- 6. D.G.C. Criminal & Civil, District Court, Amroha
- 7. Bar Associations Amroha
- 8. District Information Officer for publishing the news in Newspapers

District Judge,

Amroha

DISTRICT JUDGE

AMROHA

प्रेषक,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी अमरोहा।

सेवा में,

माननीय जनपद न्यायधीश अमरोहा।

पत्रांक मुचिअ/कोविड-19/2021-22/5494 दिनांक 16.04.2021 विषय जनपद न्यायालय अमरोहा में श्री श्रवण कुमार पुत्र श्री होरी सिंह कोविड-19 के एन्टीजन टेस्ट में पॉजेटिव पाये जाने के सम्बन्ध मे।

महोदय.

उपरोक्त विषयक, अवगत कराना है कि उ०प्र० शासन चिकित्सा अनुभाग—5 के शासनादेश संख्या 902 / पांच—5—2020 दिनांक 31.05.2020 के प्रस्तर ग के विन्दु संख्या—3 में वर्णित प्राविधानों के अनुसार यदि कार्य स्थल पर किसी कार्मिक में कोविड—19 के लक्षण पाये जाते है एवं जांच रिपोर्ट पॉजेटिव आती है तो उस कार्मिक से सम्बन्धित कार्य स्थल के प्रक्षेत्र / भवन को पूरी तरह से 24 घण्टे के लिये बन्द कर दिया जाये तथा उस स्थल को दो बार विसंक्रमित किया जायेगा। इसके साथ ही जो—जो व्यक्ति उस कार्मिक के निकट सम्पर्क (एक मीटर से कम दूरी तथा 15 मिनट से ज्यादा सम्पर्क) में आये हो उनके आर०टी०पी०सी०आर टेस्ट कराकर धनात्मक पाये जाने पर होम आईसोलेशन अथवा कोविड—चिकित्सालय में भर्ती किया जायेगा।

अतः अनुरोध है कि उक्तानुसार कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

्रिख्य चिकित्सा अधिकारी अमरोहा

पृ०स0-मुचिअ / कोविड-19 / 2021-22 / तददिनांक प्रतिलिपि- निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित।

1. उप जिला अधिकारी अमरोहा।

2. अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद अमरोहा को इस आशय से प्रेषित कि जनपद न्यायालय अमरोहा को 02 बार सैनेटाईज कराकर विसंक्रमित कराने का कष्ट करें।

3. चिकित्सा अधीक्षक सामु०स्वा०केन्द्र अमरोहा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि पत्र सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराकर अग्रिम कार्यवाही करना सुनश्चित करें।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी अमरोहा

Jean 16/4/2001 01STRICT JUDGE

> कोविड-19, समाजिक दूरी बनाये , कोरोना को भगाये।